जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यय

जम्मू एवं कश्मीर में गंभीर उग्रवाद/विद्रोह को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को शांति एवं अमन बनाए रखने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। इसकी वजह से इसके राजस्व/बजट पर अतिरिक्त भार तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस समस्या का निराकरण करने तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संसाधनों में सहायता करने के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक पृथक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना प्रारंभ की गई जिसमें पुलिस (एस आर ई-पुलिस) तथा राहत एवं पुनर्वास (एस आर ई-आर एंड आर) पर किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान था।

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (पुलिस) के तहत रक्षीदल, सामग्री एवं आपूर्ति के आवागमन, सुरक्षा बलों की सीमा चौकियों के लिए किराया एवं किराए पर लिए गए आवास, विशेष पुलिस अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाले मानदेय, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, वैकल्पिक आवास के निर्माण, हवाई प्रभारों, पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों एव कैदियों पर होने वाले व्यय ग्राह्य हैं।

चालू वित्त वर्ष 2014-15 (20 जून, 2014 तक) के दौरान इस घटक के तहत राज्य सरकार को 149.25 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत एवं पुनर्वास) योजना के तहत कश्मीरी प्रवासियों को मासिक नकद राहत, अनुग्रह भुगतान, उग्रवादी हिंसा में मारे गए आम नागरिकों की विधवाओं को पेंशन, उग्रवाद से प्रभावित अनाथों को छात्रवृत्ति, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी एवं उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज पर किए जाने वाले व्यय आदि की प्रतिपूर्ति जम्मू एवं कश्मीर सरकार को की जाती है।

चालू वित्त वर्ष 2014-15 (20 जून, 2014 तक) के दौरान इस घटक के तहत राज्य सरकार को 64.08 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

वर्ष 1989 में एस आर ई योजना के प्रारंभ से भारत सरकार ने दिनांक 20/06/2014 तक जम्मू एवं कश्मीर सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) के तहत 4596.82 करोड़ रु. तथा सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत एवं पुनर्वास) के तहत 2376.53 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति/निर्मुक्ति की है।